<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>26/09/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना और अन्य की 170 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और बैंगलोर में स्थित आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय शामिल हैं और चल संपत्तियों में 55 लाख रुपये का बैंक बैलेंस, 41 लाख रुपये का सोना और हीरे के आभूषण, 13 करोड़ रुपये के शेयर/प्रतिभूतियां/सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड/कॉर्पोरेट बॉन्ड, 84.5 लाख रुपये की तीन महंगी कारें और 70 लाख रुपये की कई महंगी घड़ियां शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की। मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) और इसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। सीबीआई ने अभी तक मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि पुरुषोत्तम मंधाना और अन्य ने एक आपराधिक साजिश रची है, जिससे बैंकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ है। उन्होंने एक गुप्त उद्देश्य से अपने कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी संस्थाओं को शामिल किया और ऋण निधि सहित एमआईएल के फंड को इकट्ठा करने के लिए ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया। बैंकों को धोखा देने के गलत इरादे से उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के साथ फर्जी बिक्री और खरीद की। ईडी की जांच से पता चला है कि इस तरह से अर्जित अपराध की आय को परतों के माध्यम से छिपाया गया था और एमआईएल की विभिन्न फर्जी सहयोगी कंपनियों के बैंक खातों और मंधाना परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से कई बार स्थानांतरित किया गया था। मंधाना परिवार द्वारा पीओसी की बड़ी राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने, शेयर बाजार में निवेश करने, अचल संपत्ति और आभूषण खरीदने में किया गया था।

इसके अलावा, ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों को विभिन्न फर्जी कंपनियों के ट्रेडिंग और डीमैट खातों में लाया और बेचा गया था ताकि शेयर की कीमतों में हेराफेरी की जा सके और बड़े पैमाने पर बैंकों और शेयरधारकों को बेवकूफ बनाया जा सके।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।